(1200/SJN/MMN)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

1200 बजे

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 3, श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.668(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.670(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.85(अ) और 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.86 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.674(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.476(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.703(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.727(अ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.738(अ) जो दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.758(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.804(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.617(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.805(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.711(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.759(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.762 (अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.765(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.768(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.694(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.771(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.774(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.777 (अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.674(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.780(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.676(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.783(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.677(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(3) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 689(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 690(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 691(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 712(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 760(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 763(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 766(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 769(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 687 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 772(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 775(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 778(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 781(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 784(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 670 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 713(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 761(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 764(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 703 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 767(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 770(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 773(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 708 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 776(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 779(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.782(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.785(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.714 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ) जो 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पीआर में उद्भूत वहां से निर्यातित "70 ली काउंट से नीचे वाले फ्लैक्स यार्न" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 672 (अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 673(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 700(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना

संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 701 (अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 747(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 748(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 810(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 811(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/143 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एनएसयू/डीआर/अध्यादेशों का प्रकाशन/2023 जो दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति के, उसमें उल्लिखित अध्यादेश अधिसूचित किए गए है, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 6, डॉ. निशिकांत दुबे जी।

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

246वां से 248वां प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन[1] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' के बारे में 246वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' के बारे में 247वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' के बारे में 248वां प्रतिवेदन।

----

[1] ये प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 10 नवम्बर, 2023 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, प्रस्तुत किए गए थे और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किए गए। माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन के आदेश दिए गए।

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, what about Item No.5?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, what about Item No.5?

… (*Interruptions*)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

1203 बजे

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

----

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1204 बजे

माननीय सभापति : श्री वी. वैथिलिंगम – उपस्थित नहीं।

श्री चंद्र शेखर साहू जी।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, food is one of the basic necessities for sustenance of life. Pure, fresh, and healthy diet is most essential for the health of the people. Adulteration of food items is so rampant, widespread, and persistent that the existing mechanism has been found not enough for making a drastic remedy. Adulteration of food and food items is still a major issue that many come across in the country. It may not be visible to the naked eye but the longstanding effects of such adulteration may impact one's health and wellbeing. The existing mechanism has so far not been able to make any drastic change to stop total food adulteration. The existing law enforcement agencies whether of the Union Government or the State Governments do not have enough manpower mechanism and funds to check and stop adulteration of food and food items.

(1205/VR/SPS)

Sir, we have also seen the results, outcome and achievements of FSSAI in stopping the adulteration in food and food items so far in the country. Now, the time has come for each and every citizen of the country to participate to come up against food adulteration. The Government should launch a movement like it did for clean India, that is, Swachh Bharat Abhiyan, and provide sufficient funds to the States for the success to this movement against food adulteration. Thank you.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Sir, I would like to draw the attention of this Government through this august House to certain difficulties faced by the people in connection with the ongoing development work of National Highway no.66, especially in my constituency.

Sir, the development work is laudable. It is very essential. People have welcomed it and have always cooperated in all manners possible. But they have certain difficulties and grievances with regard to the work that is going on. For example, the intersection of Areekode Parappanangadi State highway with NH-

---

* Pl. see p. 310 for the list of Members who have associated

66 at Kolappuram junction in my constituency is inadequately designed, necessitating an additional travel of five kilometers to various locations. A proper design of this intersection is urgently required. Both the junctions at Thazhe Chelari road leading to Parappanangadi and the junction at Mele Chelari leading to Mathappuzha lack sufficient space and the conjunction in the junctions causes uncontrolled traffic block.

Sir, longstanding demands from the public for flyovers or underpasses at Irumbu Cholam, Velimukku, Kohinoor, Pengotturmad, and Parammal locations remain unaddressed and need solution. Panchayat roads like Parappulakkal and Kuzhimpattupadam have a level difference, and entry to the service road is not feasible. There is a very serious problem of drainage at various places. Drainage and culvert outlets causing flood in several places require proper connection to natural streams. Adequate arrangements for access from the highway to residential and commercial plots are needed.

Sir, Kerala is a thickly populated State. While making these designs and plans, these factors had to be addressed at the very outset. But there are serious deficiencies in this regard, and people are facing serious problems. I urge upon the Government to take a serious note of the situation, and intervene in this matter to find an urgent solution to the difficulties being faced by the people. Thank you.

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Shri Jamyang Tsering Namgyal – Not present.

Shri Sanjeev Kumar Singari ji.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to raise this matter of urgent public importance in this august House.

Sir, this is regarding reclassification of Kurnool city of Andhra Pradesh as a 'Y' category city for the purpose of calculating HRA to the Central Government employees. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): There are thousands of Central Government employees in and around the city of Kurnool, who are serving the nation with dedication. They are the employees of the Ministry of Railways, Department of BSNL and Department of Posts under the Ministry of

Communications, Income Tax Department under the Central Board of Direct Taxes, Central Excise Department and Customs Department under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Bureau of Investigation, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances, Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture, Indian Meteorological Department under the Ministry of Earth Sciences, and Kendriya Vidyalaya Sangthan under the Ministry of Education.

Sir, there is a long pending demand for enhancement of HRA from 8 per cent to 16 per cent. This is a legitimate desire and the right of the people for which natural justice should be provided. That means that the Government should fulfil their reasonable demands. These are legitimate demands because Kurnool city has a population of 5.7 lakh and it has surpassed five lakh mark five years back. Decision has been kept pending for want of population census which was due in 2021.

(1210/SAN/MM)

Census could not be conducted due to various reasons, one of which was COVID crisis.

Sir, we know that all government schemes are designed as per the projected population figures. Likewise, enhancing HRA based on projected population figures is very much reasonable and justifiable. As per the 7th Central Pay Commission Report, the CCA classification of Indian cities was abolished in 2008 and new classification of X, Y and Z categories came into force. We have eight X category cities wherein population is more than 50 lakhs. In 2011, two cities were upgraded from Y to X category. We have 97 Y category cities wherein population is more than five lakhs. In 2014, 21 cities were upgraded from Z category to Y category.

Sir, Kurnool city has a population of 5.7 lakhs as certified by local municipal authorities and revenue authorities. So, Kurnool deserves to be upgraded from Z category to Y category. The Central Government employees working in and around Kurnool city will be benefitted. Their HRA will be enhanced from the present eight per cent to 16 per cent. This justifiable demand of Central Government employees may be honoured on humanitarian ground.

I request the Government of India to consider enhancement of HRA of Government employees of Kurnool region from eight per cent to 16 per cent, pending actual census and re-classification of cities of India.

Thank you.

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): Sir, the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh are going to have heavy rainfall in their coastal districts as a deep depression intensified over the Bay of Bengal, moving north-west, and evolved into cyclone Michaung. It is expected that winds may touch a maximum sustained speed of 90 to 110 kmph. In this context, it is important to highlight that the State Government of Tamil Nadu has taken adequate necessary steps. In this regard, in order to further support the efforts taken by the State Government, I humbly request the Union Government to grant, sanction or extend the logistic and financial support to Tamil Nadu in the event of any unforeseen disaster so that it is able to manage the disaster. The Union Government may kindly do the needful for making necessary allotment to the State of Tamil Nadu from the National Disaster Management Fund.

Thank you.

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सर, मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती का किसान बहुत दिक्कत में आया हुआ है। बारामती के बहुत सारे जिले ऐसे हैं, जहां ओले पड़े हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इस साल बिलकुल बारिश नहीं हुई है और वहां सूखा पड़ा हुआ है। पूरा कांट्राडिक्शन हो गया है और पूरा इम्पैक्ट एक जगह क्लाइमेट चैंज का हो रहा है, इसके कारण किसान बहुत दिक्कत में आ गया है, चाहे अंगूर हो, प्याज हो, केला हो, गेहूं हो, धान हो, कपास हो, कोई भी सब्जी हो, सोयाबीन हो। आप यवतमाल जाएं तो सोयाबीन और कपास की चिंता है, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएं, नासिक में जाएं, बुलढ़ाणा में जाएं, जलगांव में जाएं तो वहां का प्याज का किसान दिक्कत में आ गया है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां यह इम्पैक्ट बारिश और ओलों के कारण या सूखे के कारण है। इसके अलावा दूध का भाव नहीं मिल रहा है, जिससे महाराष्ट्र के किसान बहुत दिक्कत में हैं। हमारी मांग है और महाराष्ट्र की सरकार ने शायद केन्द्र सरकार को लिखा भी है, यहां से टीम जल्द से जल्द महाराष्ट्र जाए और महाराष्ट्र को मदद करे। महाराष्ट्र के जो मेहनत करने वाले सारे किसान हैं, उन सबका पूरा ऋण माफ हो, उनको कर्ज माफी मिले और उनको नया कर्ज भी मिले। इसके अलावा क्लाइमेट चैंज का पूरा मैनेजमेंट करके और एक्सपर्टीज लगा करके आगे किसान कैसे काम करे, इसके लिए भी बड़ा इंटरवेंशन केन्द्र सरकार को करना पड़ेगा।

(1215/YSH/SNT)

महाराष्ट्र का हर एक किसान जो मेहनत करने वाला है, उसको अभी बैंक्स से पैसे लेने की जरूरत है, सरकार को भी इसके लिए मदद करनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे कोविड का समय हो, जब भी किसानों को दिक्कत आती है तो उनके लिए न तो कोई लॉकडाउन होता है और न ही उनके सुख-दुख में कोई होता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि वह महाराष्ट्र के सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करें।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson Sir.

I would like to speak regarding a new railway line, which is a 75-year-long demand for the people of my constituency, Dharmapuri. It is about the connectivity between Morappur and Dharmapuri which gives connectivity to Chennai. I would like to thank the Union Railway Minister for having allocated Rs. 100 crore and starting the railway network programme. Now, there is land compensation and acquisition work going on but there is a small problem at two places where land acquisition is going on. One is Mookanur where a marginalised society is living. There are around 300 families over there who are saying that their houses and agricultural land will be taken over once the railway project comes up there.

Mr. Chairperson Sir, through you, I request the Railway Minister to have a small diversion of 500 meters and have another line by saving the families and the agricultural land of that marginalised society of Mookanur. Also, Reddihalli is another dominant society of people living over there. There also we need a small diversion which we have already represented to the Railway Board and the GM of Southern Railway. We would also like to have the Minister's intervention in it so that the smooth functioning of the Railway comes into place which will have a connectivity to Chennai. Thank you, Sir.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर से दो प्रमुख 6 लेन मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे जा रहे हैं। इन दोनों मार्गों पर औद्योगिक क्षेत्र एवं लॉजिस्टिकल हब बनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर अकबरपुर ब्लॉक के बेवाना गांव और उसके निकट तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के भियांव ब्लॉक के अजमलपुर, गौरी बड़ह, नूरपुर कला और रतना गांव में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है।

इन सभी गांवों के प्रभावित किसान और लोग इस अधिग्रहण के तहत उनको जो मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, उसको लेकर अत्यन्त निराश हैं। मुआवजे के रूप में प्रति बिस्वा 1 लाख 40

हजार रुपये मात्र उनको दिए जा रहे हैं, जबकि मार्केट रेट 6 से 7 लाख रुपये है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि वहां के किसान इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं और वहां पर स्थिति आंदोलित हो चुकी है। यहां तक कि वहां की जनता धरने पर बैठी हुई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूँ कि किसानों के आक्रोश को देखते हुए भूमि अधिग्रहण कानून में उचित तब्दीलियां लाई जाएं, ताकि वहां के लोगों को तथा अम्बेडकर नगर के किसानों को सही रूप से मार्केट रेट पर पैसे दिए जा सकें। इसी के साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिकल हब में जो नए उद्योग आएंगे, उनमें नौकरियों में अम्बेडकर नगर के लोगों के लिए और वहां के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण इश्यू पर केन्द्रित करवाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Thank you so much, Chairman Sir. I would like to draw the kind attention of the House towards a grave concern that has plagued the State of Assam for far too long, that is, the relentless issue of flood and erosion. The State bears the burden of approximately 31.05 lakh hectares of flood prone area as identified by the Rashtriya Barh Ayog, constituting a staggering 39.58 per cent of the total land area of the State, whereas the rest of the country's combined flood prone area stands at about 10.2 per cent only.

(1220/AK/RAJ)

The gravity of the situation cannot be overstated when it is seen that the flood-prone area of Assam is four times the national mark of the flood-prone area of the country.

The Assam's Government projects an increase in extreme rainfall events by five per cent to 35 per cent and an increase in the rise of flood events by more than 25 per cent due to climate change. Natural forces cannot be tamed, but communities can be equipped to pre-empt large-scale disasters. The Government is majorly investing in rescue and relief measures during the floods. While these immediate and short-term actions are necessary, there has been no long-term measures in sight to mitigate the issue.

Similarly, since 1950, over 4.27 lakh hectares -- that is 7.40 per cent of the Assam's total area -- have eroded along the Brahmaputra and its tributaries with an annual average loss of nearly 8,000 hectares. This has led to the

disappearance of 2,500 villages affecting lakhs of people who reside on the embankments. Even with such severity of the situation in Assam, the absence of a proper framework to officially declare floods and erosion as national calamities hinders in combating these recurring challenges effectively.

Therefore, I urge the hon. Union Home Minister to immediately spearhead the development of necessary legislative measures that can enable the formal declaration of floods and erosion as national calamities. Thank you.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं। यह प्राइवेट बैंकों की तरफ से किसानों की हो रही लूट का मुद्दा है।

सर, अगर कोई भी आदमी कार लोन लेता है, तो उससे 7.8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। अगर कोई भी बिजनेस या कॉमर्शियल ऐक्टिविटी के लिए कर्ज लेता है, तो उससे 7.25 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। हाउसिंग लोन में 8.5 प्रतिशत से 9.5 तक ब्याज लिया जाता है।

सर, यह हैरानी वाली बात है कि अगर किसान खेती करने के लिए अपनी लिमिट बनाते हैं, उनसे 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। सर, इससे भी आगे आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आप कोई नया ट्रैक्टर लेते हैं, आप कम्बाइन लेते हैं, किसान फार्म इक्विपमेंट्स लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स उनसे उन पर 22 प्रतिशत ब्याज वसूलते हैं। किसान कैसे इतना ब्याज दे पाएंगे? इसको रेशनलाइज करना चाहिए। यह केवल मेरा या अपोजिशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हम सभी का मुद्दा है।

मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बैंकों द्वारा जो किसानों की यह लूट हो रही है, इसे रोका जाए।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर देखा जाए, तो हम ने कॉरपोरेट्स के तकरीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन राइट ऑफ किए हैं। मैं यह गुजारिश करूंगा कि किसानों का यह सिर्फ पांच लाख करोड़ रुपए है। इसको भी राइट ऑफ करके किसान अपने गले में जो फंदा डालते हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाया जाए। किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you Sir for giving me this opportunity.

Sir, through you, I would like to draw the attention of the Indian Union Government towards the vacant positions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(1225/UB/KN)

Through the data provided by the Ministry of Railways and the Ministry of Education, it is evident that we are far behind in fulfilling our commitment towards the inclusion and equality in the society.

In the Indian Railways, 86,211 vacancies for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are there. It is disheartening that 18,600 of these vacancies were carried over in the previous year. Even the parallel pattern is witnessed in the Central universities where 46 per cent of the reserved seats for OBCs, 44 per cent for STs and 37 per cent for SCs still remain unoccupied. Even in our most prestigious institutions like IITs, 2,750 faculty vacancies reserved for SCs, STs, OBCs and EWS are remaining vacant. This highlights the magnitude of underrepresentation of our society. It is the constitutional duty of the Government to ensure the livelihood and the social upliftment of these communities. In 2014, this Government promised to create 25 crore more jobs. It is imperative for the Government to fulfil this commitment. I appeal to the Government to address the vacancies reserved for SCs, STs, and OBCs with a sense of urgency and transparency in the recruitment process.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, I request the Government to enhance the upper limit of salary from Rs. 21,000 to Rs. 40,000 for availing ESI benefits for all the eligible workers in the private sector. An employee getting a monthly salary of about Rs. 21,000 is out of the ESI coverage. It should be noted that having understood the growing cost of living in the country, the 6th Pay Commission under the UPA Government recommended a salary hike in the Government jobs. The employers in the private sector also revised the salaries of their employees. As a result, a significant section of workers in the private sector receives monthly salary beyond Rs. 21,000. Hence, these employees are out of the purview of the ESI benefits. Therefore, I request the Government to enhance the salary limit up to Rs. 40,000 per month so that lakhs of beneficiaries can avail ESI benefits.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Sir, exactly ten years ago, in the Sixteenth Lok Sabha, the great State of Andhra Pradesh was divided by making several promises under the A. P. Reorganisation Act. One of the promises was for providing a South Coastal Railway Zone in Visakhapatnam. It was finally approved in the 17th Lok Sabha in 2019, but it is yet to become reality. The DPRs

are still under review. No timeframe was fixed to make this an operational railway zone while special status is still pending. People of Andhra Pradesh are eagerly appealing for making other promises a reality and I request the Government to make our dream for a South Coastal Railway Zone a reality. Also, on a side note, there is a new Vande Bharat Express from Hyderabad to Visakhapatnam. My constituency is Eluru which is a district headquarters with almost two lakh people and almost one million people live around Eluru but, unfortunately, there is no stop in Eluru. The next stop from Eluru is almost 200 kms in Rajahmundry. I request the hon. Railway Minister to consider Eluru to have a stop for Vande Bharat Express between Hyderabad and Visakhapatnam.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of the Government to our eight ex-Navy personnel who once commanded the frontline ships of our country to defend the nation from hostile neighbours but are now facing serious charges in Qatar even though the charges are unspecified.

(1230/SRG/VB)

But reports are coming up that they are facing death sentences. So, the families of those hapless ex-Navy personnel are suffering a lot. They do not know when the Sword of Damocles will be descended upon them. They do not know the fate of those unfortunate and hapless ex-Navy personnel of our country. I know that India has a good affinity with the Government of Qatar.

So, I would suggest that all sorts of resources should be exhausted to persuade the Qatar Government in order to get those ex-Navy personnel rid of this kind of charges because it is the concern of the nation, and it is the concern of those families. So, I would suggest to the Government that they should be pro-active and they should strive hard to get relief for those hapless ex-Navy personnel of our country.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the famous and a well-known agricultural scientist, Padma Vibhushan awardee, Dr. M.S. Swaminathan passed away about three months back in Chennai.

Sir, the country is very much aware about Dr. M.S. Swaminathan's contribution in our agricultural sector as well as self-sufficiency in food security. But at the same time, the NDA Government chose to disrespect the legend when he passed away as the Government did not accord any rightful honour or pay

tributes or mark respect to Dr. M.S. Swaminathan, and displayed their arrogant and ungrateful attitude towards a great scientist. The Government also did not send a proper representative of the Union Government to be present throughout the funeral function in Chennai. His family belongs to my Parliamentary constituency, Kuttanad. He has made a great contribution to the agricultural sector in Kerala also. So, I demand, through you, at least now the Government must take steps in granting the rightful honour to Dr. M.S. Swaminathan by awarding him the citation of Bharat Ratna posthumously. Further, Dr. M.S. Swaminathan's life-size statue be erected in the Parliament Building along with a portrait installed in the Central Hall. Also, I suggest that the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) be re-named immediately as M.S. Swaminathan Institute of Agricultural Research. The Government must rectify its mistake and honour Dr. M.S. Swaminathan for his extraordinary contribution to Indian agriculture and in ensuring food security which is considered as the pillar of the nation.

With these words, through you, I would urgently like to invite the attention of the Government to the contributions made by Dr. M.S. Swaminathan. The country cannot ignore him. So, hon. Ministers are here. … (*Interruptions*) Hon. Cabinet Ministers are here. … (*Interruptions*) Smriti Irani ji, Dharamendra Pradhan ji and Anurag Singh Thakur ji are here. … (*Interruptions*) So, you are ignoring … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I take huge exception to my name being called out without substance and without information by the hon. Member. … (*Interruptions*) Secondly, Sir, I am sure that once the Member lays the issue at hand on the Floor, the appropriate Minister will respond. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Who is the appropriate Minister? … (*Interruptions*) The Agriculture Minister is not there. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: But I would tell, through you, Sir, that the hon. Member not to be in a spiteful position just because his Party has faced a

humiliating defeat just yesterday after the election results were announced. … (*Interruptions*)

(1235/PC/RCP)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : प्लीज़, बैठ जाइए। वैज्ञानिकों के विषय को पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बसंत कुमार पंडा जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : सर, मैं यहां यह विषय रेज़ करना चाहूंगी कि वर्ष 2019 में गुरू नानक देव जी के 550 साल के गुरुपुरब पर इस सरकार की तरफ से … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, श्री बसंत कुमार पंडा जी बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, आपका नाम नहीं लिया गया है।

… (व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी) : माननीय सभापति महोदय, पिछले नौ वर्षों से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों का कौशल बढ़ाने और उनको विश्व स्तर पर ले जाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और देशों में कलाकार प्रतियोगिताएं, कला संगमों द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ओडिशा के पश्चिम क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्मारक स्थित होने के साथ ही पश्चिम ओडिशा में भवानीपटना पश्चिम ओडिशा का केंद्र बिंदु है। कालाहाण्डी, कोरापुट और नुआपड़ा के कई स्थानों को भारत के दूसरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहां विशाल घाटी, पहाड़, पानी के बड़े झरने, डैम्स, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अद्भुत नजारे स्थित हैं। यह क्षेत्र आदिवासी, कला, गीत-संगीत, नृत्य और ओडिशा के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उद्गम स्थल है। हमारे यहां पश्चिम क्षेत्र के प्रतिभापूर्ण कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, जिससे अभी वे वंचित हैं। पश्चिम ओडिशा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहां के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम ओडिशा हमेशा से उपेक्षा का कारण बना हुआ है और राज्य सरकार 'स्टेपमदर एटिट्यूड' हमारे क्षेत्र के प्रति दिखाती आ रही है। ओडिशा में सिर्फ एक कलिंगा स्टूडियो है, जो कि कटक में स्थित है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मामलों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित कर पश्चिम ओडिशा में भवानीपटना के पास अकादमिक फिल्म

प्रशिक्षण स्कूल और साथ में राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके भूमि आवंटन हेतु आग्रह किया जाए, ताकि वहां जल्द से जल्द एक फिल्म स्टूडियो की शुरूआत हो सके, जिससे हमारी आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिले।

पश्चिम ओडिशा की बड़ी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। इससे यहां से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर भाग लेने और पश्चिम क्षेत्र के कलाकारों को विश्व स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करके क्षेत्र का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए बढ़-चढ़कर मौका मिलेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से, संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कदम उठाया जाए।

(1240/CS/PS)

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अखनूर, खौड़ और ज्योड़ियां की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरिया चिनाब है। दरिया चिनाब में जब भी बाढ़ आती है तो सारे क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि बह जाती है। दरिया उसे बहाकर ले जाता है। अब हद इतनी हो गई है कि जब भी बाढ़ आती है या बर्फ पिघलने से दरिया का पानी बढ़ता है तो वह पानी गाँवों में घुसना शुरू हो गया है।

महोदय, जो कृषि योग्य भूमि है, वह तो बह गई है, लेकिन अब गाँव बहने की कगार पर आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाँव चिनाब दरिया की लपेट में आ रहे हैं, अगर हमने कोई ठोस कदम उन गाँवों को बचाने के लिए नहीं उठाया तो वे गाँव के गाँव बह जाएंगे और लोग बेघर हो जाएंगे।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि अखनूर, गुर्गी, टकी, संग्रामपुर, मखियाला, चंचवा, देवीपुर, चक सिकंदर, गैर, बकौर और इसके अलावा कुछ छोटे गाँव भी हैं, जो दरिया चिनाब की लपेट में आ गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, देखिए पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था, लेकिन अब 55 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ पर एक बांध बांधने की योजना बनी है ताकि उन गाँवों को बहने से बचाया जाए। यह 55 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट वन एवं जल संसाधन मंत्रालय में आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल संसाधन मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे और इस 55 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करे ताकि वहाँ पर एक बांध बनाया जाए और बांध बनाकर उन गाँवों को बहने से बचाया जाए। यह हमारे उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है।

मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, सदन से भी प्रार्थना करता हूँ और जल संसाधन मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूँ कि अखनूर के साथ-साथ लगने वाले जितने भी गाँव हैं, उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए और यह 55 करोड़ रुपये की राशि इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर की जाए ताकि वहाँ पर एक अच्छा बांध बने और उन गाँवों को बचाया जा सके। धन्यवाद।

*SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Respected sir thank you very much for allowing me to speak on a very important issue, concerning my constituency Dhenkanal in Odisha. In fact, I want you to visit my state and inspect the condition of 3 National Highways -49 from Pallahada to Keonjhar, 55 from Cuttack to Sambalpur and 149, connecting Tikri to Dubri.

The roads are incomplete and widening process is taking too long. Hence accidents are a frequent occurrence. Till date 326 people have died. So many precious lives have been lost. Dhenkanal contributes around 1000 crores to the central government. Although the work is still in progress, some of the stretches have been inaugurated by a union minister. I find it rather strange. Sir I urge upon the central government to expedite the work and ensure the development of my state and especially my district which is one of the highest contributor of Revenue. Union minister of HRD is here and I request him too to do the needful for our State – Odisha.

---

* Original in Odia

(1245/IND/SMN)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : श्री ज्ञानेश्वर पाटिल -उपस्थित नहीं।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I want to raise an important issue which is related to my State.

Sir, for MGNREGA, Awas Yojana and for National Health Mission, money was allotted by the Government of India. That money amounting up to Rs. 18,000 crore has been kept blocked since last two years. We, a few MPs and our Ministers came to Delhi to meet the hon. Minister of State. Surprisingly, we were kept waiting for two hours in the waiting hall. We were offered tea and ultimately, after two-and-a-half hours, when we went for the meeting, she left from behind the door.

माननीय सभापति : आप अपने इश्यू की बात कीजिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we were lifted bodily. Senior MPs and ten Ministers were taken twenty kilometres away from Delhi. We demand that the MNREGA allotment and Awas Yojana allotment should be sent to State Government without further delay.

We, including our Chief Minister, are keen to place our demand to the Prime Minister of India and we want this issue to be discussed on the floor of this House without further delay and economic blockade should not be allowed to be created in the State of West Bengal.

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति जी, आपकी अनुमति से सदन के वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने भारत सरकार की योजनाओं मनरेगा और प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में कहा है कि उनको भारत सरकार ने ब्लॉक किया है।… (व्यवधान) सभापति जी, यह तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की तरफ से बंगाल के गरीबों का पैसा ले जाते हैं और उसमें तोलाबाजी करते हैं, कट मनी रखते हैं, यही मूल कारण है।… (व्यवधान) देश के सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं, लेकिन बंगाल की सरकार स्वयं को उससे ऊपर मानती है।… (व्यवधान) On the floor of the House, I would like to mention that in the PM Poshan Yojana, that is, in the Mid Day Meals Scheme, they have misappropriated Rs. 4000 crore. The Government of India has given this for inquiry to CBI. Everything will come out. ये गरीबों के पैसे की लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्च करते हैं।… (व्यवधान) इनके ऊपर इंक्वायरी होगी। इनके आधा दर्जन मंत्री जेल में हैं।… (व्यवधान) इनके शिक्षा मंत्री जेल में हैं। इन्हें डर लगने लगा है कि इनकी लीडरशिप जेल में जाएगी, इसी डर से ये सदन के समय को खराब करते हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री हसनैन मसूदी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सिर्फ मसूदी जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

… (Interruptions) … (Not recorded)

(1250/RV/SM)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, जम्मू-कश्मीर को कई संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मसला है कि वहां कोई लोकशाही नहीं है, हम पिछले छ: सालों से वहां अफसरशाही से जूझ रहे हैं। आज जब पाँच रियासतों में इंतेख़ाबात के नताईज का जश्न मनाया जा रहा है, जम्मू-कश्मीर में पिछले छ: सालों से हमें इंतेख़ाबात का इंतज़ार है। वह एक संगीन मसला है, लेकिन आज जो वहां सबसे संगीन मसला है, वह बिजली का बोहरान है।

जनाब, हम 3215 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, लेकिन आजकल ठिठुरती सर्दी में, सब-जीरो टेम्परेचर में वहां पर 16 घंटे का शट-डाउन रहता है। मेरा मुतालिबा होगा कि जो बिजली की कटौती है, पहले वह रेशन्लाइज्ड की जाए।

दूसरी बात है कि एनएचपीसी के पास हमारे पावर जेनरेशन के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं, वे वापस लिए जाएं क्योंकि एनएचपीसी ने उससे बहुत पैसे हासिल किए हैं। सलाल के एग्रीमेंट के 25 सालों तक रहने की बात थी, लेकिन आज 50 सालों से वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए बिजली का मसला तब तक हल नहीं होगा, जब तक हमने एनएचपीसी को जो दिए थे, चाहे वह उरी-1 हो या उरी-2 हो या बगलिहार हो या सलाल प्रोजेक्ट हो, या वहां पर जो भी हों, उन्हें हमें वापस दिए जाएं।

हमारे यहां जो एस.टी. हैं, बीपीएल हैं और जो आखिरी पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनसे आज भी स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली फीस हजार रुपये से ज्यादा ली जा रही है जबकि पास की रियासतों में लोगों के बिजली बिल ज़ीरो आते हैं। पंजाब में, दिल्ली में, आपका जो शासन उत्तराखण्ड में है, वहां बिजली बिल ज़ीरो आते हैं। आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली को कम कीमत पर देने का या ज़ीरो बिल देने का वायदा किया है, पर जम्मू-कश्मीर के साथ एक अलहदा ही व्यवहार किया जाता है जैसे कि जम्मू-कश्मीर देश का हिस्सा ही नहीं है। हमारे पास की रियासत पंजाब में वहां की आधी आबादी का ज़ीरो बिल आता है और हमारे यहां के एस.टी., बीपीएल, एस.सी., और आखिरी पायदान पर रहने वाले जो लोग हैं, उनसे बहुत बिजली बिल लिए जाते हैं।

जनाब, आपसे मेरा इतना ही मुतालिबा है कि एनएचपीसी के पास हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें उनसे वापस लिए जाएं। उनका पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी एनएचपीसी उसे चला रही है। दूसरी बात है कि वहां पर जो शट-डाउन है, उसे रेशन्लाइज्ड किया जाए, ताकि लोगों को वहां पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े।

جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): شکریہ چیرمین جناب، جموں و کشمیر کو کئی سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، ہم وہاں پچھلے چھ سال سے بیوروکریسی سے جوجھ رہے ہیں۔آج جب پانچ ریاستوں میں انتخابات کے نتائج کا جشن منایا جا رہا

ہے، جموں و کشمیر میں ہمیں پچھلے چھ سالوں سے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن آج سب سے سنگین مسئلہ بجلی کی کمی ہے۔

جناب، ہم 3215 میگاواٹ بجلی پیدا کرتے ہیں، لیکن آج کل شدید سردی میں، زیرو درجہ حرارت میں 16 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ پہلے بجلی کی جو کٹوتی ہے اس کو معقول بنایا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پاور جنریشن کے ہائیڈرو الیکٹرک یونٹس کو واپس لے لیا جائے جو NHPC کے پاس ہے کیونکہ NHPC نے ان سے بہت پیسے حاصل کیئے ہیں ۔ سلال کا معاہدہ 25 سال تک چلنا تھا، لیکن آج یہ 50 سال سے مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ لہذا بجلی کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے NHPC کو جو کچھ دیا ہے، خواہ وہ Uri-1 ہو یا Uri-2 یا بگلیہار ہو یا سلال پروجیکٹ، یا جو کچھ بھی ہو انہیں ہمیں واپس دیا جائے۔

ہمارے یہاں جو S.T ہیں ، بی پی ایل ہیں اورجو آخری درجے میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے آج بھی اسمارٹ میٹر کے نام پر بجلی کی فیس کے طور پر ہزار روپے سے زیادہ وصول کی جا رہی ہے، جب کہ قریبی ریاستوں میں لوگوں کے بجلی کے بل صفر آتے ہیں ۔ پنجاب میں، دہلی میں آپ کی جو حکومت اتراکھنڈ میں ہیں وہاں بجلی کے بل صفرآتے ہیں۔ آپ نے راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کم قیمت یا صفر بل پر بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جموں و کشمیر کے ساتھ ایک الگ ہی سلوک کیا جاتا ہے جیسے جموں و کشمیر ملک کا حصہ نہ ہو۔ ہماری قریبی ریاست پنجاب میں، نصف آبادی کو بجلی کے بل صفر آتے ہیں اور ہمارے ST، BPL، SC اور آخری نمبر پر رہنے والے لوگوں سے بجلی کے بھاری بل وصول کیے جاتے ہیں۔

جناب، میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے پروجیکٹ جو NHPC کے پاس ہیں ان سے واپس لے لیے جائیں۔ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود NHPC اسے چلا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں شٹ ڈاؤن کو معقول بنایا جائے، تاکہ وہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस सदन में आपने मुझे एक अत्यंत गम्भीर चिंता के विषय को इस सदन में उठाने का अवसर दिया है।

महोदय, यह चिंता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, यह सम्पूर्ण समाज के लिए है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ से जिस तरह से नकली वीडियो, चित्र या इस तरह की चीजें वायरल की जा रही हैं, वह देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है। समाज में इस तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित करके लोगों के बीच में किसी का चरित्र-हनन करके या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीजों को वायरल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का उपयोग कर इस डीप फेक का प्रचार-प्रसार पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया है। अभी तक इस पर कोई विधायी कानून भी नहीं है। इस गम्भीर सवाल पर सरकार भी सोच रही है। यह पूरे देश में बढ़ रहा है।

पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे रश्मिका मंधाना का मामला हो, चाहे आलिया भट्ट का मामला हो, चाहे वे फिल्म स्टार्स हों, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, हम लोग, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उनके लिए अगर कोई इस तकनीक का दुरुपयोग करके इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं तो यह उनके पूरे जीवन पर एक सवालिया निशान लगा देता है। इस डीप फेक का आज बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा है और इसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए भी खतरा है। इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले दिनों माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर निश्चित तौर पर एक प्रभावी कार्रवाई हो और यदि आवश्यकता हो तो सरकार इस पर एक मजबूत लेजिस्लेशन बनाने का काम करे।

*DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): I thank you, Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on two important subjects of urgent public importance.

Sir, I am an elected MP of Shri Fatehgarh Sahib. This is the place where during Aurangzeb's rule, governor Wazir Khan had walled alive two Sahibzadas of the Tenth Guru Shri Guru Gobind Singh.

I had requested the Central Government that Fatehgarh Sahib should be brought in the International Tourist Circuit and all facilities should be provided there so that all Sikh pilgrims and other devotees could have a 'darshan' of the site here.

Secondly, Sir, I wish to raise the issue of farmers. When the Farmers' Agitation ended, the Central Government had promised that in line with the MSP being provided on wheat and paddy, they will make arrangements for providing MSP for all the crops. However, nothing has been done in this regard.

In Punjab, the sugarcane farmers are being beaten on roads for demanding MSP.

Sir, farmers are providers of foodgrains in the country. We must fulfil promises made to the farmers. Their demands must be met.

Thank you.

---

* Original in Punjabi

(1255/RP/GG)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you hon. Chairman, Sir, for affording me this opportunity to raise a very serious matter of urgent public concern as far as my State Kerala is concerned.

Sir, this is a matter with respect to the Coastal Zone Management Plan to be provided by the Stare Governments. The Coastal Zone Management Plan is one of the essential pre-requirements so as to implement the amendments in the Coastal Regulation Zone Notification 2019. The coastal area people, especially, the fishermen community in my State, are finding it very difficult to construct the houses even for their livelihood. They are finding it very difficult to continue their lives in the coastal areas because of this Coastal Regulation Zone Plan. It is quite unfortunate to note that the State Government has not completed the process of preparing the Coastal Zone Management Plan. Even the people's representatives have not been taken into confidence in preparing the Coastal Zone Management Plan. In my constituency, most of the coastal area villages are more than that of the urbanised panchayats. They have not been taken into consideration in the draft plan preparation. The draft plan is prepared without considering the development of the coastal panchayats. The coastal panchayats in my constituency in particular and the State of Kerala in total are much more developed than the municipalities and corporations which are falling under the urban zone.

Hence, it is highly necessary to prepare a plan considering the development of coastal panchayats. It is highly necessary to publish the CRZ Notification considering the aforesaid facts to protect the coastal population in Kerala, particularly, Kollam, my Lok Sabha Constituency. If the 2019 Notification of coastal regulation has to be made effective, the Coastal Zone Management Plan has to be issued by the State Government. So, I urge upon the Government of India to intervene in this matter in the interest of costal fishermen and the people living in the coastal areas by giving a direction to implement the Notification by preparing the Coastal Zone Management Plan. Thank you very much, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक एक लोकल ट्रेन चलती है। कोविड के बाद, दोपहर 11.30 से 2.30 बजे के बीच वह लोकल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, जबकि उसी समय सभी मालगाड़ियां उस रूट पर चलती हैं। जब मैं रेलवे मंत्री जी से इस संबंध में मिला, तब उन्होंने बताया कि दोपहर के समय मेन्टेनेंस के कारण लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। महोदय, जब मालगाड़ी उसी समय चलती है तो फिर लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल सकती है? दोपहर के समय स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, महिलाएं, कर्मचारी इससे प्रभावित होते हैं एवं किसान भी दूध बेचने पुणे तक जाते हैं तो उनको भी दो-ढाई घंटे रेलवे स्टेशन पर वेट करना पड़ता है। मैं कई बार, इस संबंध में रेलवे मिनिस्टर से मिला हूँ। रेलवे बोर्ड एवं रेलवे मंत्रालय ने पुणे से लोनावना तक तीसरे और चौथे ट्रैक को मंजूरी दी है और

इसको 3-4 साल हो गए हैं। जब सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, तब इसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री ऐकनाथ शिंदे जी ने इस संबंध में एक मीटिंग भी की है।

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Kindly conclude.

(1300/MY/NKL)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वादा भी किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी रेलवे बोर्ड की तरह उसमें सहायता करेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि पुणे से लोनावला तक जाने वाली लोकल ट्रेन दोपहर के समय, खासकर साढ़े ग्यारह से ढाई बजे के बीच चलाई जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, केंद्र सरकार की योजना आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण और विस्तार की दृष्टि से कार्य मेरे संसदीय क्षेत्र मेरठ जनपद के अंतर्गत चल रहा है।

महोदय, जिस कंपनी को इसका काम दिया गया है, उसकी गति इतनी धीमी है कि काम लगभग हो ही नहीं रहा है। विद्युत समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने दो बैठकों में इस बात की चर्चा की। अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की, परंतु उसके काम में किसी भी प्रकार की गति नहीं आई है। जो अधीक्षण अभियंता (एसई) हैं, उनके द्वारा लिखने के बाद भी इसकी गति नहीं बढ़ी है।

माननीय सभापति जी, अभी तक केवल छह प्रतिशत काम हुआ है। यह काम दिसंबर महीने तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसकी यह स्थिति है। मैं उस कंपनी का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता हूं, परंतु उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा की जाए। उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो, उसे सरकार और माननीय मंत्री जी करें, ताकि आरडीएसएस के अंतर्गत जो अपेक्षित काम है, वह पूरा हो सके।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मेरे जिले में, हालांकि यह मेरे लोक सभा क्षेत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन एनआरएचएम का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस जिले का अध्यक्ष हूं। वह मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। यह सुंदर पहाड़ी है। पिछले एक महीने से प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो पहाड़िया जनजाति है, उनके 20 बच्चों की मौत हो गई है। मलेरिया या इसी तरह का कोई ऐसा वायरल है, जिसको राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। मैं और हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी, हम दोनों वहां विजिट कर चुके हैं। लिटीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी का यह हाल है।

सर, हालत यह है कि वहां डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि पीटीजी को हम 100 परसेंट प्रधानमंत्री आवास देते हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट में भी नहीं है। एक भी आदिवासी परिवार को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां एक भी आदिवासी को वहां प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाई हैं। वहां डॉक्टर की भी सुविधा नहीं है। रोड की यह हालत है कि मेरा खुद का हाथ छिल गया है, मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया। वहां मैं मोटरसाइकिल पर भी नहीं चढ़ पाया।

सर, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाले मेरे इलाके में जो सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए, यहां से केंद्रीय टीम को भेजा जाए। वहां प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के जो बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान बचायी जाए।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Supriya Sadanand Sule	Shri Jagdambika Pal Shri Malook Nagar
Shri Jasbir Singh Gill	Shri Malook Nagar
Shri Ritesh Pandey	Shri Malook Nagar
Shri Jagdambika Pal	Shri S. C. Udasi Shri P.P. Chaudhary Shri Malook Nagar
Shri Basanta Kumar Panda	Shri Parvesh Sahib Singh Verma Sushri Sunita Duggal
Shri Jugal Kishore Sharma	Shri Malook Nagar
Dr. Amar Singh	Shri Malook Nagar
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Krupal Balaji Tumane
Shri N.K. Premachandran	Shri Gopal Shetty
Dr. Nishikant Dubey	Shri Malook Nagar
Shri Rajendra Agrawal	Shri Malook Nagar
Shri Raghu Rama Krishna Raju	Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shri Anto Antony	Shri B. Manickam Tagore Shri N.K. Premachandran Shri M.K. Raghavan Shri V. K. Sreekandan Shri Rajmohan Unnithan Shri Benny Behanan
Shri Chandra Sekhar Sahu	Shri S. C. Udasi

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1303 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।